Therefore, this is a system which has its merits, and which has its demerits. We have got to weigh one against the other, and we have to judge the success or the failure of the system in the background of the actual social conditions which prevail in the country. What may be good today may not be good tomorrow. What may be good in one country may not be good in another country. So, you have got to judge this in this light. As my hon. colleague has said, after all whatever the system, whatever the tribunal you set up for the administration of justice, the first *sine qua non* is this, that there must be a high degree of social conscience developed, so that those who assist the Courts and the tribunals—whether the tribunal is composed only of a Judge or of a Judge and a jury—by giving evidence are men on whom you can rely with absolute confidence. That is what I have to say. I have nothing more to add.

Shri Raghunath Singh (Banaras Distt. Central): What about the assessors?

Shri Biswas: So far as the assessors are concerned, the experience of the system of trial by assessors has not been quite happy.

Shri S. V. Ramaswamy: I accept the Motion for Circulation.

Mr. Chairman: I put the motion to the vote of the House. The question is:

> "That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinion thereon by the 31st December, 1953."

The motion was adopted.

Mr. Chairman: Let us proceed to the next Bill. There are ten minutes yet.

Several Hon. Members: Only five minutes.

DOWRY RESTRAINT BILL

Shrimati Uma Nehru (Sitapur Distt. *cum* Kheri Distt.—West): I beg to move:

> "That the Bill to restrain the custom of taking or giving of dowry in marriages, be taken into consideration."

जनाब चेयरमैन साहिब, आज एक मुद्दत के बाद ग़ालिबन् दो साल के बाद और बहुत इन्तज़ार के बाद यह दहेज़ की प्रथा का बिल मैं आप के और हाउस के सामने पेश कर रही हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि इस बिल को हाउस बख़ुशी मंज़ूर करेगा। स्त्री जाति में बराबर एक हलचल मची हुई है, उस का हृदय व्याकुल व परेशान है और उस की ख्वाहिश है कि वह समाज में ज़बर्दस्त परिवर्तन करे ताकि वह भी एक इंसान की नाईं बसर कर सके। आज कल जो भी समाज में परिवर्तन हुए हैं वह संतोषजनक नहीं हैं। क़ानून के हिसाब से स्त्री की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और जो हुए भी हैं वह निहायत सुपरफ़िशियल हैं और नतीजा यह है कि आज के दिन भी स्त्री की बेसिक पोज़ीशन वैसी ही है जैसी कि श्री मनु के समय में थी। इस समय मैं नहीं चाहती कि मैं स्त्री समाज का इतिहास आप लोगों को सुनाऊं। इतना ही कहना चाहती हूं कि स्त्री के भी हृदय और दिमाग़ है, और एक इंसान के नाते उस की भी ख्वाहिशें हैं और स्त्री चाहती है कि समाज में लोग उस को भी इंसान समझें। हमारी समाज ने स्त्री के साथ जो अन्याय किया है वह तक़लीफ़देह है। हमारे देश में सामाजिक उन्नति तब तक सम्भव नहीं है जब तक हम हर एक के साथ एक सा बर्ताव नहीं करते, समाज में कोई ऊंच नीच न हो, और कोई छोटे बड़े का भेद न रहे, उसी दशा में समाज उन्नति कर सकता है और

[श्रीमती उमा नेहरू]

वही समाज आदर्श समाज होता है । समाज की ऐसी दयनीय अवस्था देख कर हमने बहुत परिश्रम के बाद इस संसद के सामने हिन्दू कोड बिल रक्खा ताकि स्त्री के बन्धनों को तोड़ दें और स्त्री को फिर से आजाद करें ।

Shri R. K. Chaudhury (Gauhati): On a point of information, Sir...

Some Hon. Members: Hindi please.

श्री आर० के० चौधरी : आप को मालूम होगा कि आजकल बहुत से नौजवान मुंह से तो यही बोलते हैं कि हम डाउरी नहीं लेंगे, लेकिन वक्त पर सब डाउरी ले लेते हैं, बल्कि डाउरी का बाबा ले लेते हैं, क्या आप को इस की खबर है ?

श्री यू० एम० त्रिवेदी (चितौड़) : डाउरी का बाबा क्या होता है ?

श्री आर० के० चौधरी : दस गुणा चीज लेता है ।

Shri Gadgil (Poona Central): Is that Parliamentary? (*Interruptions*)

Mr. Chairman: Order, order, let the hon. Member proceed.

श्रीमती उमा नेहरू : जैसा आनरेबुल मेम्बर ने डाउरी के बारे में बतलाया, मैं उन से ज्यादा इस बारे में जानती हूं, जो नौजवान लड़के डाउरी लेते हैं, वह उनके जो वालिद होते हैं या बाबा कहिए या पिता कहिए, उन के कहने पर लेते हैं ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जिन की शादी हो चुकी है वह ऐसा कह सकते हैं, जिन लड़कों की शादी नहीं हुई है उन को डाउरी जरूर मिलना चाहिए ।

सभापति महोदय : आर्डर, आर्डर, मैं जानना चाहता हूं कि क्या आनरेबुल मेम्बर और ज्यादा वक्त इस के ऊपर लेंगी ?

श्रीमती उमा नेहरू : जी हां ।

Mr. Chairman: The hon. Member may then continue on the next day.

The House then adjourned till a Quarter past eight of the clock on Tuesday, the 1st September, 1953.